

D.N. 382

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(सज्ज)

प्रकरण संख्या /2017

लक्ष्मीचन्द पाण्डिया बनाम भूश दशैगा वर्गेरु

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :- दिनांक-

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री लक्ष्मीचन्द पाण्डिया ने जरिये आश्वी २०७४
श्री-शबेशमानशर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल
खाते की भूमि ग्राम आमली प0ह0 जसुजीका खेडू माण्डलगढ मे आराजी न0

740, 813/738, 834/741,
किता रकबा 18 बीघा बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आश्वी तिथि को
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करो
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान आश्वी २०७४
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्रार्थी का जमान
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने का
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया
ग्राम आमली की आराजी न0 740, 813/738, 834/741,
रकबा बीघा 18 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाये
के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाये
कमीशनर फ्रीस /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसील
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

